परिशिष्ट [17/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 309]

MJFA

अध्यक्ष – पियुष जैन
मो.नं. – 9425123659

मंदसौर जिला फर्टिलाइजर एसोसिएशन

49, कैलाश विहार काम्पलेक्स, महू नीमच रोड़, मंदसौर (म.प्र.)

क्र. दिनांक :– 26/9/25

प्रति,

अनिता धाकड़/सुरेश मुवेल
सहायक संचालक कृषि सह जांच अधिकारी
जिला मंदसौर (म.प्र.)

विषय :– कृषि अधिकारी द्वारा दुकानदारों से अवैध वसूली हेतु।
संदर्भ :– आपका पत्र दिनांक 20.09.2025

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा कृषि अधिकारी श्री पप्पु कटारा व ग्राम सेवक श्री जितेन्द्र चौहान द्वारा बीज नमूना एवं खाद् नमूना लेने हेतु दुकानदारों से 4000–6000 रूपये की अवैध वसूली एवं छोटे दुकानदार को लाईसेंस रद्द करने एवं एफ.आई.आर दर्ज करने की धमकी एवं परेशान किया जा रहा है। के संबंध में संघ से जुडे विक्रेताओं से चर्चा कर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

उक्त संबंध में विक्रेताओं से चर्चा की गई एवं उनके द्वारा इस प्रकार की किसी भी घटना से इंकार किया गया है।

जिला अध्यक्ष
मंदसौर जिला फर्टिलाइजर एसोसिएशन
जिला मंदसौर (म.प्र.)

सहायक संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विभाग
मध्यप्रदेश

2

मंदसौर जिला बीज व कीटनाशक विक्रेता संघ

कार्यालय :– पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, नई आबादी, मंदसौर

राकेश जैन	अनिल सुराना	प्रवीण भंडारी	लक्ष्मण मेघनानी
7974743103	मनीष माथुर	दिनेश पाटीदार	संदीप श्रीमाल
अध्यक्ष	महामंत्री	उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष

प्रति

अनिता धाकड़/सुरेश मुवेल
सहायक संचालक कृषि सह जांच अधिकारी
जिला मंदसौर

विषय- **कृषि अधिकारियों द्वारा दुकानदारों से अवैध वसूली हेतु।**

सन्दर्भ- **आपका पत्र दिनांक 20.09.2025**

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा कृषि अधिकारी श्री पप्पु कटारा व ग्राम सेवक श्री जितेन्द्र चौहान द्वारा बीज नमूना एवं खाद नमूना लेने हेतु दुकानदारों से 4000-6000 रूपये की अवैध वसूली एवं छोटे दुकानदार को लाईसेंस रदद करने एवं एफ.आई.आर दर्ज करने की धमकी एवं परेशान किया जा रहा है। के संबंध में संघ से जुड़े विक्रेताओं से चर्चा कर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

उक्त संबंध में विक्रेताओं से चर्चा की गई एवं उनके द्वारा इस प्रकार की किसी भी घटना से इंकार किया गया है।

जिला अध्यक्ष
बीज एवं कीटनाशी विक्रेता संघ
जिला मंदसौर

परिशिष्ट-1
पृष्ठ 1 से 2 सत्यापित

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

परिशिष्ट - 2 (1)

जाँच प्रतिवेदन

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला मंदसौर का पत्र क्रमांक/स्था/2025/2280 मंदसौर दिनांक 17.9.2025 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता अनिता धाकड़ एवं सुरेश मुवेल, सहायक संचालक कृषि को माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र.शासन का पत्र संलग्न कर कृषि अधिकारी श्री पप्पु कटारा एवं ग्राम सेवक श्री जितेन्द्र चौहान द्वारा तहसील मंदसौर जिला मंदसौर अंतर्गत बीज नमूना एवं खाद नमूना लेने के लिए दुकानदारों से अवैध वसूली एवं छोटे दुकानदारो को दुकान बंद करने, लाईसेंस रदद् करने एवं एफ.आई.आर. दर्ज करने की धमकी संबंधी आवेदन पर शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

उक्त के संबंध में सर्वप्रथम निवेदन है कि प्राप्त शिकायती आवेदन में किसी भी दुकानदार का नाम, संस्था का नाम एवं हस्ताक्षर नहीं होने के कारण शिकायत किसके द्वारा की गई है ये स्पष्ट नहीं है।

अतः जांच के संबंध में रैंडम आधार पर मंदसौर विकासखण्ड के लगभग 34 विक्रेताओं से संपर्क कर उनके कथन लिये गए है। जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट उल्लेख् किया गया है कि उनसे श्री पप्पु कटारा एवं श्री जितेन्द्र चौहान द्वारा किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई है एवं लाईसेंस रदद या एफ.आई.आर. की धमकी देकर परेशान नहीं किया जा रहा है। (कथन संलग्न)

साथ ही जांच के संबंध में जिला अध्यक्ष बीज एवं कीटनाशक विक्रेता संघ मंदसौर एवं उर्वरक विक्रेता संघ मंदसौर को भी पत्र जारी कर अपने स्तर से संघ से जुड़े सभी व्यापारियों से चर्चा कर जांच के संबंध में अभिमत प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, जिसके जवाब में उनके द्वारा भी इस प्रकार की किसी भी घटना से इंकार किया गया है (अभिमत संलग्न)

पुनः शिकायत के संबंध में श्री पप्पु कटारा सहायक संचालक कृषि एवं श्री जितेन्द्र चौहान कृषि विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मंदसौर को पत्र जारी कर उनका भी अभिमत प्राप्त किया गया जिसमें उनके द्वारा भी शिकायत को गलत ठहराते हुए, आवेदन में किसी भी व्यक्ति/फर्म का नाम अथवा हस्ताक्षर नहीं होने से शिकायत आदान विक्रेताओ द्वारा न की जाकर द्वेषवश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है जिसकी जांच कराए जाने का लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त कथनो एवं जांच के आधार पर श्री पप्पु कटारा एवं श्री जितेन्द्र चौहान के संबंध में प्राप्त शिकायती आवेदन में लगाये गये आरोपो की पुष्टि नहीं होना सिद्ध होता है साथ ही चूंकि शिकायती आवेदन में भी किसी भी व्यक्ति/संस्था का नाम तथा हस्ताक्षर नहीं है। अतः गुमनाम शिकायत के आधार पर उक्त शिकायती आवेदन को नस्तीबद्ध किया जाना उचित होगा।

सुरेश मुवेल
सहायक संचालक कृषि
कार्यालयीन

अनिता धाकड़
सहायक संचालक कृषि
कार्यालयीन

परिशिष्ट - 2
पृष्ठ 1 से 1 क्रमांक
हि/

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल